

284

408

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर,
खण्ड पीठ रीवा (म0प्र0)



R. 2538-1114.

दिनेश प्रसाद ब्राम्हाण तनय जागेश्वर प्रसाद, उम्र वर्ष,
निवासी ग्राम सुमेदाकला, तहसील मऊगंज, जिला-रीवा (म.प्र.)

-----आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

-----अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय
अपर कलेक्टर महोदय, सीधी जिला
सीधी मध्यप्रदेश के राजस्व प्रकरण
क्र. 416निगरानी /11-12 मे पारित
आदेश दिनांक 23.05.2014

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50
म0प्र0 भू-राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

यह कि ग्राम परासिली, तहसील मझौली की शासकीय
भूमि आराज खसरा क्रमांक 207/2 का जुज रकवा
2.023 हेक्टेयर का व्यवस्थापन म0प्र0 कृषि प्रयोजन के
लिये उपयोग किया जा रही रखल रहित भूमि पर
भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध
अधिनियम 1984 के आधीन आवेदक द्वारा न्यायालय
नायब तहसीलदार मझौली के न्यायालय मे आवेदन पत्र
प्रस्तुत किया। जहाँ पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

1/2/2014

49
27-14

अनुराग सिंह

दिनांक 02-07-14

रीवा
मझौली

दाफत

27-7

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.S.38. II / 14 जिला- सीधी

दिनांक २३.५.१५ विरुद्ध म० प्र० शासन

(1)	(2)	(3)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अनुराग शिवदी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला <u>सीधी</u> के प्रकरण क्रमांक <u>416/क्रि.ग.11.12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>23.5.14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म० प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29.3.19</u> को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">५ सदस्य</p>	

अधिनियम 1984 के आधीन आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मझौली के न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहाँ पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

१५-५-१९१५